युनायटेड किंगडम के चुनावी व्यवस्था का विश्लेषण (एक राष्ट्र एक चुनाव के संदर्भ में)

प्रा.डॉ.लक्षटे रत्नाकर बाबुराव
परियोजना निदेशक ,
भारतीय कारगर नीति सामाजिक अनुसंधान
भारतीय सामाजिक अनुसंधान परिषद ,नई दिल्ली
सहयोगी प्राध्यापक तथा अनुसंधान मार्गदर्शक
स्नातक तथा स्नातोकत्तर राजनीति विज्ञान विभागाध्यक्ष
देगलूर महाविद्यालय देगलूर
ता.देगलूर जिला .नांदेड (महाराष्ट्र)

सारांश : इस शोध लेख में शोध लेख के ध्येय, शोध लेख का महत्व, एक राष्ट्र एक चुनाव क्या है ?, युनायटेड किंगडम के संसदीय लोकतन्त्र प्रणाली कि विशेषताएं, युनायटेड किंगडम के चुनाव, युनायटेड किंगडम चुनाव के तंत्र जिसमें किसप्रकार युनायटेड किंगडम सरकार ने वहां के सभी चुनावों को एक साथ करानें का सफल प्रयास किया है I इसका विश्लेषण किया है I जिससे यह ज्ञात होता है कि युनायटेड किंगडम ने अपने देश में एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था का स्वीकार किया है I जिससे भारत को भी अपने यहां एक राष्ट्र एक चुनाव कि प्रक्रिया को लागू कराने के लिए आवश्यक सिख मिलती है I

कीवर्ड : युनायटेड किंगडम , चुनाव ,लोकतान्त्रिक, भारत ,तंत्र ,संविधान ,लोकसभा ,विधानसभा ,राष्ट्राध्यक्ष , हाउस ऑफ कॉमन्स , हाउस ऑफ लॉडस, राज्य ,एक राष्ट्र एक चुनाव

1) प्रस्तावना :

किसीभी लोकतान्त्रिक व्यवस्था में चुनाव एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है I चुनाव हि राष्ट्र के विकास कि गति को तेज बनाते है I इसलिएसभी लोकतान्त्रिक देशों ने स्वतन्त्र चुनाव पद्धति को अपनाया है I भारत ने संविधान के धारा 324 से 327 में स्वतन्त्र और स्वायत्त केंद्रीय चुनाव आयोग का गठन किया है I 73 वें संविधान संशोधन ने राज्यों के लिए अलग से

चुनाव आयोग का निर्माण किया है I चुनाव देश में सभी के राजनीतिक सह्भागीता को बढाते है I सरकार के कामों को गिनाने का काम जनता चुनाव में करती है I लोकतान्त्रिक देशों में चुनाव उत्सव का माहौल होता है I चुनाव हि सरकार और राजनीतिक दल को अधिक क्रियाशील बनाते है I चुनाव यह एक बहुत हि विशाल ,लचीली और जटील प्रक्रिया है I हर देश अपने अपने चुनाव प्रक्रिया में सुधार कर उसे सक्षम और प्रभावशाली बनाने का प्रयास करते है I चुनावी गतिविधियां और प्रक्रिया से सबको रूबरू कराने हेतू चुनाव आयोग कि ओर से जागरण के कार्यक्रम भी चलाए जाते है I सभी देशों के जनसंचार माध्यम इसमें बढ चढ कर हिस्सा लेते है I

भारत में चुनाव व्यवस्था में सुधार करणे हेतू अनेक विषयों पर चर्चा सदा से हि होती है I लेकीन वर्तमान में एक राष्ट्र एक चुनाव इस विषय पर राजनीतिक माहौल बडा हि गर्म है I युनायटेड किंगडम ने अपने यहां पिछले कहीं सालों से एक राष्ट्र एक चुनाव कि प्रक्रिया को अपनाया है I भारत और युनायटेड किंगडम दोनो संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणाली को अपनानेवाले राष्ट्र है I जिसमें मूलतः अधिक अन्तर भी है I युनायटेड किंगडम ने संसदीय लोकतन्त्र प्रणाली को अपनाकर भी इस व्यवस्था का किसप्रकार क्रियान्वयन किया है ? भारत में इसका क्रियान्वयन करने हेतू युनायटेड किंगडम कि व्यवस्था मार्गदर्शक है क्या ? यह सोचना या इसपर विचार करना हमारी दृष्टी से अधिक आवश्यक है I

2) **शोध लेख का आधार – प्रेरणा** :

भारतीय सामाजिक अनुसंधान परिषद ,नई दिल्ली के भारतीय कारगर नीति सामाजिक अनुसंधान के तहत मान्यता प्राप्त बृहद अनुसंधान प्रकल्प विषय एक राष्ट्र एक चुनाव की सामाजिक –आर्थिक एंव राजनीतिक उपलब्धियां एंव चुनौतियों का अध्ययन के कारण मुझे एक राष्ट्र एक चुनाव इस विषय पर अनुसंधान करने का अवसर प्राप्त हुआ है I प्रस्तावित शोध लेख इस अनुसंधान कार्य का हि एक अंश है I

3) **शोध लेख के ध्येय** :

प्रस्तावित शोध लेख में निम्न ध्येय को स्पष्ट करने का प्रयास किया है I

1) युनायटेड किंगडम की चुनाव व्यवस्था को समझना I

2) युनायटेड किंगडम के संसदीय लोकतन्त्र प्रणाली कि विशेषता को स्पष्ट करना I

3) युनायटेड किंगडम में कितने प्रकार के चुनाव होते है इसका जायजा लेना I

4) एक राष्ट्र एक चुनाव कि संकल्पना स्पष्ट करना I

5) युनायटेड किंगडम ने किसप्रकार अपने देश में एक राष्ट्र एक चुनाव कि व्यवस्था को क्रियान्वित किया यह स्पष्ट करना I

6) इसके हेतू उन्होंने कौनसे तंत्र को अपनाया I

आदि का विश्लेषण इस शोध लेख में किया है I

4) शोध लेख का महत्व : (Importance of Research Article):

इस शोध लेख से हमे निम्न प्रकार कि जानकारी मिलेगी I जिसका इस्तमाल हम भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव कि प्रक्रिया कि क्रियान्वित करने हेतू कर सकते है I

1) भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव के क्या पर्याय हो सकते है ? इसे समझने कि दृष्टी से इस शोध लेख कि उपयुक्तता है I

2) युनायटेड किंगडम ने संसदीय लोकतन्त्र को अपनाकर भी किस प्रकार एक राष्ट्र एक चुनाव कि व्यवस्था को अपनाया यह हमे इस शोध लेख से ज्ञात होगा I

3) युनायटेड किंगडम के उसी तंत्र को हमारे देश में क्रियान्वित करणे के प्रति हमारी सोच को यह शोध लेख विकसित करता है I

5) एक राष्ट्र एक चुनाव क्या है ?

एक राष्ट्र एक चुनाव यह वर्तमान भारतीय राजनीति का बहुत चर्चित विषय है I इस विषय को अनेक देशों ने अपने अपने हिसाब से अपनाया है I भारत में 1952 से 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे I अमेरिका ,युनायटेड किंगडम ,जर्मनी ,कनाडा ,दक्षिण अफ्रिका आदि देशोंने इसको अपनाया है I भारत में भी इसको लागू करने कि दृष्टी से बहस शुरू है I भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव के अलग अलग रूप है I जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ कराना I लोकसभा चुनाव के दो साल बाद सभी राज्यों के विधानसभा के चुनाव कराना I लोकसभा ,विधानसभा और स्थानीय निकाय इन सभी चुनावों को एक साथ कराना I यह सभी चुनाव एक साथ कराना आसान नही है इसलिये एक राज्य के सभी चुनाव एक साथ कराना आदि चुनाव कराना यह एक राष्ट्र एक चुनाव का भारत में प्रारूप हो सकता है I

6) युनायटेड किंगडम संसदीय लोकतंत्र प्रणाली कि विशेषताएं :

युनायटेड किंगडम जिसे हम इंगलंड या ग्रेट ब्रिटेन के नाम से भी संबोधित करते है I लेकीन राजनीतिक और भौगोलिक दृष्टी से युनायटेड किंगडम यह संबोधन उचित और संयुक्तिक है I युनायटेड किंगडम युरोप का एक महत्वपूर्ण देश है I भौगोलिक दृष्टी से देखा जाय तो यह एक छोटा राष्ट्र है I लेकिन वह अधिक समृद्ध और अच्छी मशनरीवाला राष्ट्र है I युनायटेड किंगडम दुनिया का एक विकसित राष्ट्र है I इन्होंने संसदीय लोकतन्त्र को अपनाया है I युनायटेड किंगडम में राजकारभार राजा के नाम से होता है I इसमें दो शासन प्रमुख होते है I संसदीय शासन प्रणाली के नुसार युनायटेड किंगडम में राजा नाममात्र कार्यकारी प्रमुख है I मंत्रिमंडल हि कार्यकारी सत्ता का वास्तविक प्रमुख होता है I जिसका चुनाव आम जनता करती है I जिसका कार्यकाल निश्चित होता है I वह पांच साल का है I तो वहां के राजा और राजपद को वंश परंपरा का आधार है I यह एकात्म व्यवस्थावाला देश है I जिसमें केंद्र के पास सारी शक्ती होती है I वहां निम्न सदन याने हाउस ऑफ कॉमन्स का नेता प्रधानमंत्री होता है I इसलिय वह वहां के संसद को जवाबदार होते है I युनायटेड किंगडम विश्व का संसदीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली का पहला और सबसे पुराना राष्ट्र है I जिसका संविधान अलिखित है I युनायटेड किंगडम के अनेक शतकों के राजनीतिक विधीनियमात्मक अनुभव के आधार पर निर्माण हुए नियम ,तत्व ,प्रथा हि वहां का संविधान है I यह ऐतिहासिक संक्रमण का अपत्य है I राजा और संसद ने समय समय पर मान्यता दिये सभी प्रलेख ,सनद ,तह और अधिनियम आदि का युनायटेड किंगडम के संविधान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है I यह परिवर्तनशील संविधान है I संसद का सार्वभौमत्व है I यहां संसद को सभी प्रकार के विधि करना ,उसमें सुधार करना और उसे रद्द करने का सत्ता सामर्थ्य है I इसे स्पष्ट करते हुये प्रो.लास्की कहते है Parliament may legislate the act that all eyed babies should be killed but before that all the parliamentarians must go mad. विधी के सामने सभी समान है इसका समर्थन यह संविधान करता है I सत्ता विभाजन के तत्व का मर्यादित स्वरूप में स्वीकार किया है I इस संविधान में तत्व और व्यवहार में अंतर है I इसके सन्दर्भ में प्रो.मनरो कहते है कि

In the British Constitution ,nothing is what it seems to be or seems to be what it is .

7) युनायटेड किंगडम के चुनाव :

युनायटेड किंगडम कि चुनाव व्यवस्था का एक राष्ट्र एक चुनाव के सन्दर्भ में विश्लेषण करणे से पूर्व पहले इस देश में कितने प्रकार के चुनाव होते है यह जान लेना जरुरी है I युनायटेड किंगडम में चार स्तर पर चुनाव होते है I केन्द्र , Developed Assemblies ,लोकल और अन्य आदि I युनायटेड किंगडम में राज्य नही है I इसलिये वहां Developed Assemblies के चुनाव होते है I केन्द्र स्तर पर होनेवाले चुनाव में क्राऊन , हाउस ऑफ कॉमन्स ,हाउस ऑफ लॉरडस इनका समावेश होता है I वहां राज्य नही है I इसलिये वहां Developed Assemblies के चुनाव होते है I नॉर्थ आयर्लंड ,वेल्स और स्कॉटलंड यह Developed Assemblies है I लोकल स्तर पर वहां के म्यूनसिपालिटी के चुनाव होते है I अन्य में वहां होनेवाले जनमत संग्रह है I जिसे हम अंग्रेजी में Referendum कहेंगे I

केंद्र स्तर पर होनेवाले चुनाव में क्राऊन के चुनाव नही होते I क्योंकी वहां उपराष्ट्रपती नही है I हाउस ऑफ कॉमन्स में वहां कि सभी शक्तीयां निहित है I हर पांच साल के बाद यह चुनाव होते है I इन चुनावो में जनता मतदान करती है हाउस ऑफ लॉरडस के चुनाव नही होते I इनकी नियुक्ती होती है I वह आजन्म के लिये होती है I Developed Assemblies में नॉर्थ आयर्लंड ,वेल्स और स्कॉटलंड इन तीनों के चुनाव होते है I जो हर चार साल के बाद होते है I इन सभी के चुनाव एक साथ हि होते है I

लोकल स्तर पर वहां म्यूनसिपालिटी के चुनाव होते है I वहां म्यूनसिपालिटी का चार साल का कालावधी होता है I जिसमें हर साल 1/3 सभासदों का चुनाव होता है I अन्य में वहां होनेवाले जनमत संग्रह जिसे अंग्रेजी में Referendum कहते है I उपरी प्रकार के चुनाव युनायटेड किंगडम जैसे विकसित राष्ट्र में होते है I

8) युनायटेड किंगडम चुनाव के तंत्र :

उपरी सभी चुनावों को कराने हेतू युनायटेड किंगडम ने कौनसे तंत्र को अपनाया यह जान लेना भी जरुरी है I युनायटेड किंगडम के संविधान और चुनाव से सम्बन्धित कानून में

चुनाव दिवस का प्रावधान है I चुनाव दिवस माने हर साल के मई माह के पहले गुरुवार को वहां चुनाव याने मतदान होता है ,यह चुनाव 01 से 07 तारीख के बीच में होते है , हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव को छोड कर I इसका मतलब वहां चुनाव हर साल के 02 से 08 नवम्बर के बीच हि होते है I

हाउस ऑफ कॉमन्स ने 2011 में एक कानून पास किया है I उसे Fix Term Parliament Act (FTPA) कहते है I इस कानून के तहत हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव हर पांच साल में मई माह के पहले गुरुवार को होते है I यदी संसद में सरकार के खिलाफ अविश्वास मत का प्रस्ताव पास होता है और यदि विशेष रूप से चुनाव करवाने कि जरुरत है तो हाउस ऑफ कॉमन्स 2/3 बहुमत से एक संकल्प पास करवादे जिसमें नया चुनाव करवाने का प्रावधान हो I इन दो अपवाद के कारण हि वहां समय से पहले चुनाव होते है I

उपरी Fix Term Parliament Act (FTPA) इस कानून के तहत वहां 2015 में पहला चुनाव हुआ I इस चुनाव के बाद युनायटेड किंगडम के राजनीति में ब्रेक्झीट कि स्थिती का निर्माण हुआ I जिसने युनायटेड किंगडम के राजनीति को हिला के रख दिया I ब्रेक्झीट के विषय पर इस देश में सरकार के खिलाफ कडा विरोध निर्माण हुआ I ऐसे स्थिती में वहां के सरकार ने उपरी विशेष रूप से चुनाव करवाने के संकल्प को हाउस ऑफ कॉमन्स में 2/3 बहुमत से पास करवा दिया I जिस कारण वहां 2017 में चुनाव हुये I इस चुनाव में थेरेसा मे कि जीत हुई I ब्रेक्झीट के विषय पर बढते तणाव के कारण पुन्हा चुनाव हो यह प्रस्ताव हाउस ऑफ कॉमन्स में रखा गया लेकीन इसे हाउस ऑफ कॉमन्स ने 2/3 बहुमत से पास नही किया I लेकीन वहां के संसद ने एक विशेष कानून पास किया जो Fix Term Parliament Act (FTPA) को कोई भी धक्का नही पंहुचाता I इस विशेष कानून के तहत वहां 12/12/2019 को चुनाव हुये I यह चुनाव हर साल मई के पहले सप्ताह में होते है I

निष्कर्ष :

युनायटेड किंगडम ने 2011 में जो Fix Term Parliament Act (FTPA) के तहत सभी प्रकार के चुनाव के लिए यही पद्धती और तंत्र को अपनाया है I संसदीय लोकतन्त्र के

रहते वहां यह कानून पास हुआ और वह ठीक ढंग से सभी चुनाव मई माह के पहले गुरुवार को होते है I वहां के जनता ,शासन और चुनावी व्यवस्था ने उसे लोकतान्त्रिक ढंगसे अपनाया है I फिरभी वहां का संसदीय लोकतन्त्र टीका है ,बिखरा नही I इससे उसे कोई खतरा नही हुआ I वहां के लोकतान्त्रिक प्रक्रिया में कोई बिघाड नही हुआ I युनायटेड किंगडम को विकसित राष्ट्र बनाने में अनेक तत्व कारणीभूत है I ईसमें वहां के सरकार ने अपनायी एक राष्ट्र एक चुनाव कि प्रक्रिया का भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है I माना कि भारत और युनायटेड किंगडम में अनेक प्रकार कि भिन्नता है I लेकीन हमारे संविधान पर जिन जिन देशों का प्रभाव है उसमें युनायटेड किंगडम यह भी एक देश है I भारत के सभी राजनीतिक दल ,राजनेता ,संसद और विधानसभा कि सामुहिक राजनीतिक इच्छाशक्ती से युनायटेड किंगडम कि तरह Fix Term Parliament Act (FTPA) सकारात्मक ढंग से एकत्रित होकर पास होता है तो एक राष्ट्र एक चुनाव भारत में भी मुमकिन है I

संदर्भ ग्रंथ :

1) **तुलनात्मक शासन आणि राजकारण : डॉ. वासंती रासम –डॉ.विजय देठे – डायमंड पब्लीकेशन्स ,पुणे 2014.**
2) https://hi.wikipedia.org/wiki/ युनायटेड किंगडम
3) http://www.mdudde.net/pdf/study material DDE/ma/ma politicalscience/MA-F **Comparative Politics and Political Analysis-complete.pdf.**
4) https://www.arsdcollege.ac.in/wp-content/uploads/ **राजनीतिक दल अर्थ प्रकृती व ऐतिहासिक विकास**